कार्यालय जिला पंचायत, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय 07856/252522, फैक्स 252575 ई:मेल पता :– zpdantewada.cg@nic.in

शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रारूप

ज्ञापन क्रमांक 716/जि.पं./शि.क.भर्ती/न.क्र. /2012/ दन्तेवाड़ा,दिनांक 26/12 /2012

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डी.के.एस.भवन मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/पं./पं.ग्रा.वि.वि./22/2012/1162 रायपुर दिनांक 17.08.2012 एवं अधिसूचना क्रमांक/पंचा-142/पं.ग्रा.वि.वि/22/2012/1563 रायपुर दिनांक 19.11.2012 के तहत छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत(भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम 2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय डी.के.एस.भवन रायपुर के पत्र क्रमांक/पंचा-175/पं.ग्रा.वि.वि./22/2012/1488 रायपुर दिनांक 30.10.2012 के तहत स्थानीय जिले सुकमा/दंतेवाड़ा के मूल निवासी ही नियुक्ति हेतु पात्र होगे, जिला पंचायत दंतेवाड़ा के अधीन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग तथा सर्व शिक्षा अभियान द्वारा संचालित शालाओं/संस्थाओं में शिक्षक पंचायत के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन (निर्धारित प्रपत्र में) दिनांक 10/01/2013 तक कार्यालयीन समय में आमंत्रित किए जाते है ।

वर्ष 2012-13

शिक्षक(पंचायत)

क्र.	विषय का नाम	कुल पद	(अ) कुल पद श्रेणीवार				(ब) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				(स) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				(द) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				(इ) कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या			
			UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
01	हिन्दी	02	01	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01	-
02	अंग्रेजी	10	02	01	06	01	01		02	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01	01	03	01
03	विज्ञान	21	04	02	13	02	01	01	04	01	-	-	01	-	-	-	01	-	03	01	07	01
04	गणित	47	07	03	31	06	02	01	09	02	-	-	02	-	01	-	03	01	04	02	17	03
05	सामाजिक विज्ञान	08	01	01	05	01	-	-	02	-	-	-	-	-	-	-	01	-	01	01	02	01
	योग	88	15	07	56	10	04	02	17	03			03		01		06	01	10	05	30	06

टीप:- **1.** UR= अनारक्षित, SC= अनुसूचित जाति, ST= अनुसूचित जनजातिए OBC= अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर)

2. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है जिसके लिए जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा ।

3. शासन के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान निर्धारित होगा ।

(1) वेतनमान रूपये:-

1. शिक्षक (पंचायत) के लिये वेतनमान 4500-125-7000

(2) पात्रता की शर्तें :-शिक्षक (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताए:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से निम्नलिखित योग्यता हो:-

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक(बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता,मानदण्ड,तथा क्रिया विधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में 04 वर्षीय स्नातक(बी.एल.एड.) अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड.(विशेष शिक्षा)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण ।

(ग) उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक निम्नानुसार होगेः-

सं.क्र.	विषय	विषय समूह
01	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
02	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो
03	विज्ञान	रसायन,बायोकेमेस्ट्री,फार्मेसी,वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग में स्नातक।
04	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय भौतिक /रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्युटर सांईस/सांख्यिकी सैन्य विज्ञान एवं भू-गर्भ विज्ञान अथवा इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक ।
05	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय-इतिहास,भूगोल,अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, इनमें से एक भूगोल या इतिहास विषय अनिवार्य होगा।

टीपः- 1.आरक्षण नीतिः- आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचितजाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यार्थियों को अर्हित अंको में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

1. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता :- शिक्षक(पंचायत) की नियुक्ति में डी.एड. एवं बी.एड. उपाधि धारी उपलब्ध न हों तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगीः-

(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारम्भिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

(ख) कक्षा छटवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए शिक्षा में एक वर्षीय उपाधि उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी। ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप, नियुक्ति(पंचायत) संवर्ग कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के 02 वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करनी होगी ।

3. अध्यापक पात्रता परीक्षा(टी.ई.टी.) न्यूनतम प्राप्त अंकः-

3.1 शिक्षक पंचायत पद के आवेदकों को कक्षा छटवी से आठवी में अध्यापन के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ।

3.2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त श्रेणी के उच्च माध्यमिक या समकक्ष तथा स्नातक आवेदकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा ।

3.3 आवेदक को दंतेवाड़ा/सुकमा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।

3.4 कोई भी उम्मीद्वार जिसकी 02 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

3.5 कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

3.6 अभ्यर्थी का पंजीयन दंतेवाड़ा या सुकमा जिला के जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है(कार्यरत शासकीय सेवकों को नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।)

3.7 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता,जाति-निवास, रोजगार पंजीयन एंव अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।

3.8 आरक्षित पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । चयनित अभ्यर्थी को कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से 02 माह के भीतर उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति कल्याण विभाग से जाति सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

3.9 शिक्षक(पंचायत) यथा स्थिति जिला पंचायत/जनपद पंचायत के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन रहेंगे ।

4. **आयु सीमाः**— दिनांक 01 जनवरी 2013 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा में छूट राज्य सरकार के प्रचलित नियमों के अनुसार होगी ।

5. **भर्ती का तरीकाः**—

5.1 शिक्षक पंचायत की नियुक्ति के लिए 12 वी में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 20 अंक स्नातक के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर 50 अंक बी.एड. में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 15 अंक तथा टी.ई.टी. परीक्षा में प्राप्त अंको के प्रतिशत पर 15 अंक तथापि ऐसे आवेदक जिन्होने 04 वर्षीय एकीकृत शिक्षा का पाठयक्रम उत्तीर्ण किया है उन्हें स्नातक तथा बी. एड. प्राप्त पृथक—पृथक अंको के स्थान पर कुल प्राप्तांक के प्रतिशत पर 65 अंक दिए जायेगे ।

5.2 चयनित अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला पंचायत द.ब. दंतेवाड़ा का होगा ।

5.3 चयनित अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय एवं कार्यभार ग्रहण करने समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियॉ प्रस्तुत करना होगा ।

5.4 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई नियुक्ति है अतएव नियुक्ति के शर्तो के अनुसार किसी भी समय 01 माह पूर्व सूचना देकर या 01 माह का वेतन भुगतान करने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

5.5 चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी, कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर सेवा से बर्खास्त किया जावेगा ।

6. **आवेदन पत्र की उपलब्धता**:–आवेदन का प्रारूप एवं अन्य जानकारियां जिला पचांयत कार्यालय दन्तेवाड़ा में कार्यालयीन **बेबसाईट www.dantewada.gov.in पर देखा जा सकता है ।**

7) आवेदन पत्र जमा करने की विधि :–

7.1 आवेदन पत्र वांछित प्रमाण पत्रों सहित दिनांक 10/01/2013 तक अभ्यर्थी स्पीड–पोस्ट/रजिस्टर डाक से इस प्रकार भेजे कि जिला पंचायत कार्यालय को अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय से प्राप्त हो जावें।

7.2 आवेदक अपने आवेदन के साथ दो स्वयं का पता लिखा पिन कोड सहित लिफाफा संलग्न करेंगे एवं लिफाफा में 5.00 रूपये का डाक मूल्य का टिकट चस्पा करेगें।

7.3 शिक्षक (पंचायत) के विषयवार पृथक–पृथक आवेदन प्रस्तुत करे।

7.4 आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम–शिक्षक (पंचायत) एवं विषय का उल्लेख करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।

7.5 निर्धारित प्रपत्र ऐ–4 साइज में ही आवेदन करें एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

7.6 डाक विलंब से प्राप्त होने की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

(8) **नियुक्ति प्रक्रिया :–**

8.1 प्रावीण्य सूची का प्रकाशन (दावा आपत्ति हेतु) जिला पंचायत के सूचना पटल की जावेगी।

8.2 सत्यापन हेतु अंतिम सूची का प्रकाशन जिला पंचायत दन्तेवाड़ा के सूचना बोर्ड में अंकित तिथि अनुसार ।

8.3 दस्तावेज सत्यापन शिक्षक(पंचायत) के लिये जिला पंचायत दन्तेवाड़ा के सूचना बोर्ड में अंकित तिथि अनुसार ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत दन्तेवाड़ा

शिक्षक (पंचायत) के पद पर नियुक्ति हेतु आवदेन पत्र का प्रारूप

विषय समूहः-......................वर्ग.............

आवेदक के पासपोर्ट साईज का फोटो अभिप्रमाणित कर चस्पा करें ।

प्रति,

जिला पंचायत दन्तेवाड़ा
दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा

1. आवेदक/आवेदिका का नाम ....
2. पिता/पति का नाम(उपनाम सहित)...
3. जाति ....उपजाति.................
   (कोडः- अनुसूचित जाति-1,अनुसूचित जनजाति-2,अन्य पिछडा वर्ग-3 तथा अनारक्षित-4)
4. जन्मतिथि (अंको में) ....
   (शब्दो में) ....
5. विज्ञापन तिथि को आयु वर्ष................माह..................दिन....................................
6. पत्र व्यवहार का पता ....
   ....
   ....पिन कोड..............................
7. आवेदक का स्थायी पता ....
   (निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें,) ....
   ....
8. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक .... दिनांक ....
   रोजगार कार्यालय का नाम ....
9. फोन/मोबाईल नंबर ....
10. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों/अंकसूची सत्यापित प्रति संलग्न करें :-

क्रं.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	श्रेणी	प्राप्तांक	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः- (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित कर संलग्न करें)

1..............................2...
3..............................4...
5..............................6...
7..............................8..
(कुल सहपत्रों की संख्याः-............................)

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....................................

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण सही है। यदि उपर्युक्त विवरण का कोई अंश असत्य पाया जाता है। तो नियुक्ति के पश्चात भी सक्षम अधिकारी द्वारा मेरी सेवा समाप्त किये जाने अथवा किसी भी दण्ड जो वह उचित समझे के लिए मैं उत्तरदायी रहूंगा/ रहूंगी।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम.....................................